International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 4; April 2017; Page No. 262-264

राजस्थान में महिला की अस्मिता के विरूद्ध दुर्व्यवहार

Seema
Department of History, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

राजस्थान के सामाजिक जीवन में स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। समाज में उन्हें आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राजस्थान में अनेक प्रतिभाशाली सुशिक्षित, विदुषी साहसी महिलाएं हुई है जिनका राजस्थान के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजपूतों के धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि वह घर ही घर नहीं होता जिसमें स्त्री नहीं होती। स्त्रियाँ पुरुषों की सफलता के लिए सदा पूजा-पाठ करती तथा शकुन आदि मनाया करती थी। वे अपने पतियों की आज्ञा का पालन करती थी। इससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता था।[1]

प्राचीन काल से ही बड़े राजधानों की लड़कियों की शिक्षा के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता था। अनेक स्त्रियाँ शासन कार्य भी सम्भालती थी। आक्रमण के समय भी राजपूत स्त्रियाँ अपने साहस शौर्य आदि का परिचय देने में आगे रहती थीं। सवाई जयसिंह के समय कई सामाजिक सुधारों में राजमहल की रानियों की सम्मति का हाथ होना माना जाता है। प्रशस्थितियों से ज्ञात होता है कि स्त्रियों ने स्थापत्य निर्माण कार्य भी करावाया था। मुगल प्रभाव के फलस्वरूप स्त्री समाज में बाल-विवाह व पर्दा-प्रथा की शुरूआत हो गई थीं। शासक प्राय: बहु-विवाह करते थे। रानियाँ राज्यकार्य में हस्तक्षेप रखती थी। प्राय: ज्येष्ठ पुत्र की अल्पावस्था में रानियाँ राज कार्य देखती थी। जैसे- भट्टियाणी रानी तथा हंसा बाई महाराणा हमीरसिंह द्वितीय के शासन काल में राजमाता स्व्यं शासन का कार्य देखती थी। आक्रमण के समय भी रानियाँ अपनी बुद्धिचातुर्य एवं शौर्य का परिचय देने में आगे रहती थी।

चितौड़, रणथम्भौर जालौर दुर्ग इस बात के घातक है कि यहाँ कि राजपूत वीरांगनाओं ने किस प्रकार हँसते-हँसते जौहर किये। समाज में प्राय: एकल विवाह की प्रथा थी किन्तु कुलीन वर्ग में बहु-विवाह की प्रथा का प्रचलन था। इन सबके कारण परिवार में क्लेश व झगड़े होने लगे। समाज में विधवाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। पुत्र न होने की स्थिति में उन्हें किसी का भी पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य जाति के लोगों में विवाह संबंध का पालन बड़ी कठोरता से किया जाता था। तलाक देने की प्रथा भी स्वीकृत नहीं थी किन्तु 18वीं शताब्दी से निम्न वर्गों में तलाक की प्राय प्रचलित हो गई थी। परन्तु कालान्तर में राजस्थान की स्त्रियाँ बाल विवाह, बहुविवाह सती प्रथा, कन्या-वध आदि अनेक कुरीतियों की शिकार बन गई तथा उनकी दशा, दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।[2]

बाल विवाह

इस प्रथा का मध्यकाल में बहुत अधिक प्रचलन हुआ। राजस्थान में बाल-विवाह भी प्रचलित थे। वास्वत में बाल-विवाह का प्रचलन सबसे पहले स्मृतिकारों के प्रयत्न से आरम्भ हुआ। स्मृतिकारों ने यह व्यवस्था दी कि आठ वर्षों की कन्या ''गौरी'' है, नौं वर्ष की ''रोहिणी'' दस वर्ष की ''कन्या'' और इसके बाद वह राजस्वला हो जाती है। जो पिता दस वर्ष की आयु तक अपनी कन्या का विवाह नहीं करता, वह प्रत्येक माह उसका रूधिर पीने का दोषी है। ब्रहत पुराण में तो वर्ष की कन्या का विवाह कर देने का ही आदेश दिया गया है।[3]

बहु-विवाह

समाज में बहु-विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। राजूपत नरेश तथा सामंत अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं। इस बहु-विवाह प्रथा के कारण स्त्रियों की दशा शोचनीय बनी हुई थी। इससे परिवारिक जीवन क्लेशपूर्ण हो जाता था। राजमहलों में गृह-कहल, षड्यन्त्र, परस्पर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का वातावरण बना रहता था तथा पतियों और पुत्रों को विष देने की घटनाएं होती रहती थीं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिससे ज्ञात होत है कि बहु-विवाह प्रथा के परिणाम दु:खदायी नहीं थे। ''शत्रुञ्जय अभिलेख'' से ज्ञात होता है कि पाना नामक व्यक्ति की दो पत्नियाँ अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान थीं तथा बड़ी दानप्रिय उदार एवं अच्छे स्वभाव वाली महिलाएँ थी।

विधवा-विवाह

राजस्थान की सामाजिक समस्याओं में विधवा-विवाह से संबंधित समस्या सबसे अधिक आमनवीय है। यह राजस्थानी पुरूषों का पाखण्डवाद है कि उसने स्त्रियों को तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पति की चिता पर चढ़ जाने की शिक्षा दी और स्वय ने मनमानी संख्या में विवाह करने का अधिकार ले लिया। उच्चवंश के राजपूतों में विधवा-विवाह प्रचलित नहीं था। निम्न श्रेणी के राजपूतों तथा अन्य निम्न जातियों में विधवा-विवाह का प्रचलन था। आधुनिक कहलाने

वाले इस समाज में भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या आज भी उतनी ही गम्भीर बनी हुई है।

बाल-विवाहों को रोकने के लिये 1929 में 'शारदा एक्ट' पास किया गया जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम के लड़के व 15 वर्ष से कम की लड़की का विवाह वर्जित था। मनु ने सर्वप्रथम यह व्यवस्था दी की ''पतिवर्ता स्त्री की सर्वश्रेष्ठ धर्म यह है कि विधवा होने की दशा में वह नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य को धारण करें।'' मध्ययुगीन राजस्थान में विधवाओं की दशा दयनीय थी। उन्हें पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उसका केवल जीवन-निर्वाह के लिये अधिकार था। उसे रूखा-सूखा भोजन तथा फटे-पुराने वस्त्रों से ही सन्तुष्ट रहना पड़ता था। वे पारिवारिक उत्सवों अथवा सार्वजनिक उत्सवों में शामिल नहीं हो सकती थी। मांगलिक अवसरों पर विधवाओं का मुंह देखना अशुभ माना जाता था। इसी कारण विधवाओं का सार्वजनिक समाहरोहों में सम्मिलित होना निषिद्ध था। इन परिस्थितियों में कुछ अनेक विधवाओं को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती थी। जयपुर के शासक सवाई जयहिंद द्वितीय ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया, परन्तु उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली।

सती-प्रथा

राजस्थान में सती प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। अन्य जातियों में इसके उदाहरण अपवाद के रूप में मिलते हैं। सती प्रथा न तो अनिवार्य थी और न कर्त्तव्य परायणता के साथ जुड़ी हुईथी। यूरोपीय लेखकों ने इस प्रथा को आत्म उत्सर्ग कहा है। महिलाएं अपने पति की मृत्यु हो जाने से अपने जीवन को निरर्थक मान कर पति को चिता के साथ जलती थी। सती प्रथा का प्रचलन मध्यकालीन युग में यह एक आम दूषित प्रथा बन गई। राजस्थान में राजपूत राजकुमारियों और रानियों के साथ उनकी (दासी) सेविकाओं के सती होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। महाराणा प्रताप, राजसिंह, मालदेव, जसवन्तसिंह, रायसिंह, कोटा के मुकुन्द सिंह और भीम सिंह नामक शासकों की मृत्यु पर उनकी स्त्रियों ने उनकी चिता में साथ जलकर सती होने का उदाहरण प्रस्तुत किया।

''डॉ. गोपी नाथ शर्मा का कथन है कि आमली जागीर के सामन्त ने एक ब्राह्मणी पर आत्मदाह के लिए दबाव डाला था। इसी प्रकार कई उदाहरण इसकी पुष्टि करते है कि सती होने का एक कारण सामाजिक दबाव भी रहा था। ब्रिटिश संरक्षण के बाद राजस्थान में सती प्रथा धीरे-धीरे कम होती गई। 1829 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम वैंटिक ने सती प्रााि को अवैध घोषित कर दिया। सन् 1830 में अलवर रियासत व 1860 ई. में उदयपुर के महाराणा ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन उसके बाद भी यह प्रथा कभी-कभी देखने को मिलता है।

दहेज-प्रथा

समाज में दहेज-प्रथा का प्रचलन सामान्य तौर पर एक अभिशाप बन चुका है। दहेज परिवार की प्रतिष्ठा तथा सम्पन्नता का प्रतीत समझा जाता है। प्राचीनकाल में कन्या के विवाह पर जो स्वेच्छा से दान दिया जाता था, वह दहेज कहलाता था। पिता अपनी पुत्री को अपनी इच्छा से कुछ वस्त्र, आभूषण धन आदि देता था और वर-पक्ष इस दान को पवित्र भेंट या उपहार समझकर प्रेमपूर्वक ग्रहण करता था। राजस्थान में दहेज-प्रथा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि शिक्षा और सामाजिक चेतना में वृद्धि होने के साथ ही समस्या और अधिक गम्भीर होती जा रही है।

राजस्थान में यह प्रथा मुसलमान शासकों के काल से प्रारम्भ हुई। इस काल में कुलीनता, बाल-विवाह, और सामाजिक रूढ़ियाँ अधिक प्रभावपूर्ण हो गई तब कुलीन परिवारों ने अपनी उच्च सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कन्या-पक्ष से अधिक से अधिक उपहार लेना प्रारम्भ कर दिया। राजपूत समाज में यह प्रथा ज्यादा फैनी क्योंकि कुलीन परिवारों में दहेज की माँग ज्यादा होने लगी। दहेज के अभाव में ससुराल में वधुओं को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इससे परेशान होकर अनेक नवयुवतियाँ आत्म-हत्या कर लेती है दहेज न लाने के कारण अनेक वधुओं को जीवित जला दिया जाता हैं। राजस्थान में इस प्रकार की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होती है जा रही है।

पर्दा-प्रथा

राजस्थान में पर्दा प्रथा का प्रचलन बारहवीं सदी के बाद हुआ जब देश और समाज ने अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिये परदा जैसा प्रतिबंध लगाया क्योंकि आक्रमणकारियों की लोलुप दृष्टि सुन्दर स्त्रियों पर अधिक पड़ती थी। बाद में पर्दा-प्रथा राजस्थान में सभी हिन्दू समाज का प्रधान अंग बन गयी। राजपूजों में पर्दा-प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था। राजपूतों में इज्जत की तीन बातें मानी जाती हैं- जमींदारी, पर्दा, तथा अच्छे वैवाहिक सम्बंध राजपूत स्त्रियों में पर्दा ज्यादा होता हैं। बहुत निकट के भाई-बन्धुओं से भी पर्दा किया जाता हैं। पर्दा-प्रथा के कारण कन्याएँ शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो जाती है तथा पर्दे में रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्दे में रहने वाली स्त्रियाँ न तो बातचीत करने में कुशल होती हैं और न उनमें साहस ही होता है। अत: पर्दा-प्रथा स्त्रियों के विकास में बाधक है। इस प्रथा के कारण के वे अनेक अंध विश्वासों और रूढ़ियों में जकड़ी रहती है।

राजस्थान में शिक्षा के प्रभाव और आधुनिकीकरण के कारण पर्दा प्रथा समाज हो रही है। राजपूतों और मुसलमानों में पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है। पर्दा-प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसमें नारी की स्वतंत्रता का अपरण पुरुष वर्ग ने कर लिया है। नारी कल्याण हेतु इसको समाप्त करना आवश्यक है।

कन्या-वध

राजपूत-समाज में कन्या वध की कुप्रथा भी प्रचलित थी। राजपूत नरेश तथ सामन्त अपनी कन्याओं का विवाह अपने से उच्च घरानों में करना चाहते थे। परन्तु इसके लिये अत्यधिक दहेज तथा नेगों की आवश्यकता पड़ती थी। इस कारण राजपूत-नरेशों को अपनी कन्याओं का वध करने

का प्रोत्साहन मिलता था राजपूत-नरेशों ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। मेवाड़-राज्य में इस प्रथा को समाप्त करने के लिये 1834 ई. तथा 1844 ई. में अध्यादेश प्रसारित किये।

घरेलू दास-प्रथा

राजस्थान में घरेलू-दास-प्रथा भी प्रचलित थी ये घरेलू दास-दासी वंशानुगत सेवकों के रूप में अपने स्वामी की सेवा करते थे। इन्हें गोला-गोली कहा जाता था। राजपूतों की पुत्रियों की शादी में दहेज के सामान के साथ दास-दासियाँ देने की परम्परा भी प्रचलित थी। दासियाँ अपने स्वामी की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकती थी। जब दासी विवाह योग्य हो जाती थी तो उसे स्वामी के सामने उपस्थित किया जाता था। यदि स्वामी को वह दासी पसन्द आ जाती तो वह उसे रनिवास (अन्तपुर) में भेद देता था। जो दासियाँ, उप, पत्नी के साथ में स्वीकार कर ली जाती थी, उन्हें ''पड़दायत'', पासवान या ''खवासन'' कहा जाता था।

स्त्रियो का क्रय-विक्रय

राजस्थान में स्त्रियों का क्रय-विक्रय भी प्रचलित हैं। स्त्रियों तथा कन्याओं के क्रय-विक्रय के प्रमुख कारण थे -

1. राजपूत लोग अपनी पुत्री के दहेज में दास-दासी देने के लिये उन्हें खरीदते थे।
- कुछ सामन्त तथा समृद्ध लोग अपनी रखेंले रखने के लिए स्त्रियाँ खरीदते थे।
- कई वेश्याएँ अनैतिक धन्धा करवाने के लिए लड़कियाँ खरीदती थी।

डाकन प्रथा

समाज में डाकन प्रथा भी प्रचलित थी। चुड़ैल प्रभावित स्त्री को डाकन कहा जाता था। ऐसी स्त्री के लिये कहा जाता था कि वह समाज के लिये घातक है। अत: उस स्त्री को मार डालना ही हितकर रहेगा। यह प्रथा विशेषकर भीलों एवं मीणों में अधिक प्रचलित थी। ये लोग स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे जीवित जला देते थे अथवा उसका सिर काट लेते थे। यदि डाकन सुप्त लोगों की होती थी, तो उसका निवारण खौलते हुए तेल में हाथ रखवा कर, वृक्षों पर उल्टा लटका कर, भोपों द्वारा जलती लोह-सलाखों से पीटकर किया जाता था। इन अत्याचारों के कारण स्त्री भय-भीत होकर या तो डाकन होने का अपराध स्वीकार कर लेती थी या इन यातनाओं को सहन करती हुई मर जाती थी। अत: राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा ने डाकन-प्रथा को अवैध घोषित करते हु अपराधियों को कठोर दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की। आज भी यदा-कदा डाकन प्रथा देखने को मिल जाती है। जो महिलाओं के लिए यह अभिशाप है।

वेश्यावृत्ति

राजस्थान में मध्यकाल के मध्यकालीन साहित्य में वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है। वेश्याएं संगीत और नृत्य में ही पारंगत नहीं बल्कि हस्तकलाओं, साज-सज्जा विशिष्ट परिधानों के पहनावे, जासूसी एवं विविध कलाओं में समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। समाज में बहु-विवाह तथा रखैल रखने की सामाजिक रूचि ने स्त्री-समाज में वेश्यावृत्ति को बनवाया था। धार्मिक स्थानों में भी वेश्यावृत्ति प्रचलित थी और कई वेश्याएँ मंदिरों में नृत्य-संगीत किया करती थीं तथा बदले में उन्हें काफी पुरस्कार मिलता था।

वेश्याओं का कार्य राजकीय महारोहों में नृत्य और गायन से मनोरंजन करना होता था। राजा और सामान्त वर्ग के लोग सुन्दर और सुसंस्कृत वेश्याओं को अपनी रखेल बनाकर रखते थे। राजस्थान में वेश्यावृत्ति का सामान्य प्रचलन इसलिये भी हुआ कि परम्परागत विवाह प्रणाली के कारण जो व्यक्ति अपनी स्त्रियों से सन्तुष्ट नहीं थे, वेश्याओं के यहाँ जाकर अपनी मानसिक और शारीरिक भूख मिटाते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने वेश्यावृत्ति उन्मूलन का कानून बनाकर इसका अन्त किया। दुर्भाग्य वश: वेश्यावृत्ति आज भी किसी न किसी रूप में जारी है।

तलाक प्रथा

समाज में तलाक-प्रथा भी प्रचलित हैं। सामंजस्य के अभाव, आपसी मनमुटाव, दम्पत्ति के शरीरिक तथा मानसिक स्तर में अन्तर शराबखोरी की आदत, नपुंसकता, पागलपन किसी अपराध में दण्डित होने आदि के कारण तलाक लिया जा सकता था। इन समस्त मामलों में तलाक की अनुमति तभी दी गई जबकि पत्नियों को वह समस्त सम्पत्ति लौटा दी गई जो वे विवाह के समय लाई तथा उन्होंने राज्य-कर चुका दिया था। आज भी यह प्रथा एक बड़ी समस्या का रूप लिये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नीरा देसाई जेंडर डाईमेंशन इन फैमिली स्टडीज: इन सोशल टांसफारमेशन इन इंडिया। रावत पब्लिकेशन जयपुर 1997।
2. इला पाठक महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का परिणाम 2001।
3. एस.पी. साठे लिंग न्याय की दशा में 1993।